# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**1. अपील संख्या – 2014/2011/सिरोही.**

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, सिरोही. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स पद्मावती मार्बल इण्डस्ट्रीज, शिवगंज, सिराही. .....प्रत्यर्थी.

**2. अपील संख्या – 2015/2011/सिरोही.**

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, सिरोही. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स महादेव मार्बल्स, केसरपुरा, शिवगंज, सिराही. .....प्रत्यर्थी.

**3. अपील संख्या – 2016/2011/सिरोही.**

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, सिरोही. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स कमल स्टोन इण्डस्ट्रीज, शिवगंज, सिराही. .....प्रत्यर्थी.

**खण्डपीठ**

**श्री के. एल. जैन, सदस्य**

**श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. आर. सिंघवी, अभिभाषक .....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 21/08/2017**

## निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये तीनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 60, 61 व 59/आरवेट/सिरोही/09–10 में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 28.02.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, सिरोही (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थीगण की आलौच्य अवधि वर्ष 2006–07 के लिये पारित किये गये आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किया है।

2. इन तीनों अपीलों के तथ्य व विवादित बिन्दु सदृश्य हैं। अतः तीनों प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आलौच्य अवधि वर्ष 2006–07 के दौरान प्रत्यर्थीगण द्वारा सीमेंट की ईंटों (सीमेंट ब्रिक्स) का निर्माण कर विक्रय किया गया था, जिस पर वेट अधिनियम की अनुसूची–IV के क्रम संख्या 4 में दी गयी प्रविष्ठि के अनुसार 4 प्रतिशत से कर वसूल किया गया

**लगातार.....2**

था, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थीगण की सीमेंट की ईंटों को इस प्रविष्ठि में सम्मिलित नहीं मानते हुए इसे सीमेंट निर्मित उत्पाद मानकर अनुसूची—V के अनुसार 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलें प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा इसे 4 प्रतिशत से कर योग्य अवधारित किया गया, जिसके विरूद्ध राजस्व की ओर से यह अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी के आदेश उचित हैं एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश विधि के विरूद्ध हैं, परन्तु विद्वान उप--राजकीय अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई भी ऐसा तर्क/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जो अपीलीय आदेश में त्रुटि होना बताए।

5. प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रविष्ठि संख्या 4 में बिना किसी शर्त के सभी तरह की ब्रिक्स को 4 प्रतिशत से करदेयता में रखा गया है। इस प्रविष्ठि में ब्रिक्स का निर्माण किस वस्तु से किया जाये, इसका कोई हवाला नहीं दिया गया है बल्कि Fly Ash bricks, refractory bricks and asphaltic roofing earthen tiles को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इस तरह सभी तरह की ईंटों को 4 प्रतिशत से ही कर योग्य करने की प्रविष्ठि कर अनुसूची में अंकित है। इसमें किसी तरह का विवाद का कोई कारण नहीं है, अतः अपीलीय आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। अतः राजस्व की अपीलें खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7. प्रत्यर्थी व्यवहारीगण द्वारा निर्विवादित रूप से उन ईंटों का विक्रय किया गया है, जिसका निर्माण सीमेंट से किया गया है, जिसे Bricks के नाम से ही जाना जाता है तथा यह भवनों के निर्माण में कार्य में ली जाती है। कर अनुसूची—IV की प्रविष्ठि संख्या 4 निम्न प्रकार है :—

**SCHEDULE IV**
**[See section 4]**
**Goods Taxable at 4%**

| S.No. | Description of Goods | Rate of Tax % |
|---|---|---|
| 4. | All kinds of bricks including fly ash bricks, refractory bricks and asphaltic roofing earthen tiles and refractory monolithic. | 4 % |

लगातार.....3

8. उक्त प्रविष्ठि में सभी तरह की ईंटों के लिये कर दर 4 प्रतिशत विशिष्ठ रूप से अंकित की गयी है, ऐसी स्थिति में ईंटों को अन्यथा वस्तु मानते हुए उस पर अवशिष्ठ दर से करारोपण किये जाने का निर्णय लिया जाना विधि के विरूद्ध है अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय में ब्रिक्स पर कर दर 4 प्रतिशत अवधारित किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

9. फलतः अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलें अस्वीकार की जाकर, अपीलीय आदेशों दिनांक 28.02.2011 की पुष्टि की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया ।

21/8/17
( मदन लाल मालवीय)
सदस्य

21/8/2017
( के. एल. जैन )
सदस्य